पत्रांक : नि०प्रा०/नि1-18/2019 1838 /पटना, दिनांक 16/11/2019

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) ।
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी ।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी ।
सभी निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी (स०स०) ।

विषय : **पैक्स निर्वाचन 2019 : स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संचालन हेतु आवश्यक निदेश ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पैक्स निर्वाचन, 2019 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की हस्तपुस्तिकाएँ आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। इस बीच, प्राधिकार द्वारा पैक्स निर्वाचन, 2019 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। पैक्स निर्वाचन भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से संचालित हो, इस हेतु विभिन्न हस्तपुस्तिकाओं में सन्निहित अनुदेशों के अतिरिक्त निम्न निदेश आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की जा रही है :-

1. निर्वाचन कार्य हेतु कर्मियों की अध्यापेक्षा (requisition) एवं मतदान दलों का गठन

पैक्स निर्वाचन, 2019 के सफल संचालन हेतु बड़े पैमाने पर कर्मियों की आवश्यकता होगी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 08 के नियम 6 में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन संचालन के लिए राज्य सरकार प्राधिकार को आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध करायेगी।

2. **पैक्स निर्वाचन 2019 के निर्वाचन में पंचायत निर्वाचन 2016 में कार्मिक नियुक्ति के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकेगा।**

3. बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 21च के प्रावधान के अनुसार **आवश्यकतानुसार निर्वाचन पदाधिकारी उतनी संख्या में मतदान पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा और उन्हें मतपेटियों, मतपत्र, अंतिम मतदाता सूची की एक प्रति तथा ऐसे सभी आवश्यक उपसाधन उपलब्ध करायेगा, जो निर्वाचन संपन्न कराने के लिए आवश्यक है।** उपर्युक्त नियमावली के नियम 21छ के अनुसार **निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ऐसे सरकारी**

सेवकों में से मतदान पदाधिकारी नियुक्त होंगे जो सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित नहीं हो।

4. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 की धारा 3 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार सहकारी सोसाइटियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन के संचालन हेतु पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति, प्राधिकारिता एवं अधिकारिता राज्य निर्वाचन प्राधिकार में निहित है। उक्त परिप्रेक्ष्य में पैक्स निर्वाचन के संदर्भ में मतदानकर्मियों की अध्यापेक्षा एवं उनकी नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं –

i. कर्मियों की नियुक्ति हेतु अध्यापेक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) के स्तर से निर्गत की जायेगी।

ii. जब जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) द्वारा उक्त निर्वाचन के संबंध में किसी कर्त्तव्य के संपादन हेतु कर्मचारियों/पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जायेगा, तब संबंधित प्राधिकारी उन कर्मचारियों को उस संख्या में, जो निर्वाचन कर्त्तव्य के संपादन हेतु आवश्यक हो, निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा। निर्वाचन कर्त्तव्य के अन्तर्गत मतदान, मतगणना, विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु पेट्रोलिंग दण्डाधिकारी आदि से संबंधित कर्त्तव्य सम्मिलित माने जायेंगे। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे –

(क) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार

(ख) राज्य सरकार के किसी भी विभाग के कर्मी

(ग) कोई अन्य संस्था, प्रतिष्ठान या उपक्रम जिसे राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है या जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्रदान निधियों द्वारा पूर्णत: या आंशिक नियंत्रित किया जाता है, या वित्त प्रदान किया जाता है।

(घ) राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक विद्यालय(प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, बुनियादी विद्यालय तथा उच्च विद्यालय)

अर्थात् जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों, स्थानीय प्राधिकारों, यथा पंचायतों/नगरपालिकाओं के कर्मियों/विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों या राज्य लोक उपक्रमों के कर्मियों को निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु तलब किया जा सकता है। यथाशक्य अध्यापन कार्य में लगे शिक्षकों को निर्वाचन कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं होगी। सहकारी समितियों के प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित कर्मियों को भी मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों आदि के कर्मियों को निर्वाचन कर्त्तव्य में नहीं लगाया जायेगा।

iii. पैक्स निर्वाचन के लिए गठित की जाने वाली मतदान दलों की संख्या लोकसभा/विधानसभा/पंचायत निर्वाचन के लिए गठित मतदान दलों की संख्या की

तुलना में काफी कम होगी, क्योंकि पैक्स निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। अतः कर्मियों के उपलब्ध डाटाबेस से मतदान कर्त्तव्य हेतु कृपया ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाय जो अपेक्षाकृत वरिष्ठ एवं अनुभवी हों।

iv. प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अलग-अलग मतदान दल गठित किया जायेगा। एक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं तीन मतदान पदाधिकारी होंगे। सुरक्षित मतदान दल का गठन भी आवश्यकतानुसार उसी पैटर्न पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) द्वारा किया जायेगा।

v. कोई व्यक्ति जो सरकार या सरकारी संस्थान या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

vi. किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी को अविलम्ब सुरक्षित मतदान दलों में से सक्षम श्रेणी के मतदान पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

vii. यदि पीठासीन पदाधिकारी अचानक रूग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो, तो उसके कृत्यों का निष्पादन मतदान दल के ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया है।

viii. पीठासीन पदाधिकारी अपने दल के किसी भी मतदान पदाधिकारी को मतदान संबंधी कार्यो अथवा किसी कार्य विशेष का सम्पादन करने हेतु प्राधिकृत कर सकते हैं। ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति पीठासीन पदाधिकारी द्वारा आवंटित कार्यो को उनके निदेशन एवं पर्यवेक्षण में सम्पादित करेंगे।

ix. तदनुसार मतदान पदाधिकारियों एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट का प्रथम नियुक्ति पत्र प्रशिक्षण विवरणी के साथ निर्गत किया जायगा। प्रथम नियुक्ति पत्र का प्रपत्र अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

x. इसी प्रकार द्वितीय नियुक्ति पत्र में प्रत्येक मतदान पदाधिकारी एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट का चरण, आवंटित प्रखंड का नाम, योगदान स्थल, तिथि एवं समय उल्लिखित रहेगा।

xi. अंतिम नियुक्ति पत्र में मतदान दल संख्या, आवंटित मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम, पैक्स तथा मतदान की तिथि एवं समय अंकित करते हुए मतदान पदाधिकारियों को उनके योगदान स्थल एवं तिथि को चरणवार प्राप्त कराया जायगा।

5. राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों/स्थानीय प्राधिकारों के सभी कर्मियों का नाम, पता, वेतन, वर्तमान पदस्थापन का स्थान, गृह प्रखंड, गृह जिला इत्यादि का विवरण प्राप्त कर अपने डाटाबेस में रखा जाय। लोकसभा आम चुनाव, 2019 के समय भी ऐसा डाटाबेस तैयार किया गया होगा। आवश्यकतानुसार इसका भी उपयोग पैक्स चुनाव में किया जा सकता है, किन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि उक्त डाटाबेस में सम्मिलित किसी कॉपरेटिव सोसाइटी या कॉपरेटिव प्रशासन से संबंधित कर्मियों को मतदान कार्य के लिए चयनित नहीं किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी

अपने जिले में अवस्थित राज्य सरकार के सभी विभागों, लोक उपक्रमों, विद्यालयों आदि के कार्यालय प्रधान से यह प्रमाण पत्र ले लेंगे कि उनके कार्यालय में कार्यरत किसी भी कर्मी का नाम उनके द्वारा भेजी गई सूची में नहीं छोड़ा गया है। निहित स्वार्थवश डाटा ऐन्ट्री करनेवाले कर्मियों द्वारा मतदान में नियुक्ति हेतु तैयार किये गये कर्मियों के डाटाबेस में कुछ कर्मियों के नाम उपलब्धता के बावजूद सम्मिलित नहीं किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो सकती हैं। अतः जिला सूचना पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि उन्हें प्राप्त करायी गई कर्मियों की सूची में से उनके पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे कर्मियों द्वारा किसी भी नाम को नियुक्ति हेतु कर्मियों के डाटाबेस से अलग नहीं रखा गया है। उपर्युक्त सभी तथ्यों की पुष्टि एवं सत्यापन जिला स्तरीय निर्वाचन कार्मिक कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसी प्रकार जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार को इस आशय का प्रमाण पत्र भेजा जायेगा कि किसी भी कार्यालय के किन्हीं भी कर्मी को उक्त डाटाबेस से बाहर नहीं रखा गया है। सभी कार्यालयवार कुल कर्मियों की संख्या (officewise total no. of employees) ले लें। सभी कार्यालयों के कुल कर्मियों को जोड़कर ग्रान्ड टोटल निकालें और देख लें कि दोनों टोटल मैच करते है या नही। 5-10 प्रतिशत लोगों के नाम रैण्डम रूप से चुनकर (randomly picked) जिला निर्वाचन पदाधिकारी जाँचकर लें कि डाटाबेस में कहीं कोई नाम छोड़ा तो नहीं गया है।

6. डाटाबेस में सम्मिलित सभी कर्मियों को एक विशिष्ट क्रमांक (unique serial number) आवंटित किया जायेगा जो क्रमांक 1 से प्रारंभ होकर अंतिम क्रमांक तक जायेगा। इसमें पद के अनुसार अलग-अलग क्रमांक 1 से सीरियल नंबर अंकित नहीं किया जाय। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी जिला में लगभग पाँच हजार कर्मियों को मतदान दल के सदस्य तथा गश्ती सह मतपेटिका संगहण दण्डाधिकारी के रूप में लगाया जाना है तो डाटाबेस में लगभग सात हजार पाँच सौ कर्मियों के विवरण रखने होंगे और इन कर्मियों को क्रमांक 1 से 7500 तक unique serial number आवंटित किये जायेंगे।

7. उपर्युक्त में पूर्व से ही सभी कर्मियों को श्रेणीवार, यथा गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दण्डाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि के रूप में सूचीबद्ध कर रखा जायेगा एवं चुनाव कार्य हेतु उनके नाम प्राप्त कर मतदान दल का गठन किये बिना प्रथम नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा। **यह स्पष्ट किया जाता है कि यह नियुक्ति पत्र प्रथम नियुक्ति पत्र होगा। इसे अविलम्ब जारी किया जायेगा ताकि कर्मियों को दिये जाने वाले अनिवार्य प्रशिक्षण को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु पूर्ण समय उपलब्ध हो सके और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कोई कमी न हो।**

प्रथम नियुक्ति पत्र में मात्र निम्नलिखित बिन्दु अंकित किये जायेंगे -

(क) नियुक्ति पत्र में कर्मी को आवंटित विशिष्ट क्रमांक (unique serial number)

(ख) कर्मी जिस रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उस पद का नाम (यथा पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, गश्ती दण्डाधिकारी इत्यादि)

(ग)कर्मी को दिये जाने वाले सभी प्रशिक्षणों की तिथियाँ, समय एवं स्थल का विवरण

8. जिले के पैक्स निर्वाचन क्षेत्रवार कुल मतदान केन्द्रों (मूल मतदान केन्द्रों एवं सहायक मतदान केन्द्रों को मिलाकर) की संख्या के आधार पर ही कर्मियों की आवश्यकता का आकलन कर उसपर 20 प्रतिशत अधिक मतदान दल गठित किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में

रखते हुए कर्मियों को प्रथम नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा **लेकिन प्रथम नियुक्ति पत्र में पैक्स निर्वाचन क्षेत्र का नाम किसी भी परिस्थिति में अंकित नहीं किया जायेगा।** जहाँ तक सुरक्षित कर्मियों की संख्या का प्रश्न है, अगर जिला निर्वाचन पदाधिकारी 20 प्रतिशत से कम परन्तु 10 प्रतिशत से अन्यून प्रतिशत में कर्मियों को सुरक्षित रूप से रखते हुए कार्य को संपादित करा सकते हों, तो इस संबंध में पत्र के माध्यम से 20 प्रतिशत से कम परन्तु 10 प्रतिशत से अन्यून सुरक्षित कर्मी रखने के बिन्दु पर प्राधिकार से छूट प्राप्त कर सकते है।

9. निम्नांकित प्रपत्र में एक पहचान पत्र सभी कर्मियों को निर्गत किया जायेगा। इस पहचान पत्र को संबंधित मतदान कर्मियों द्वारा मतदान के दिन धारण किया जाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का विवरण एक पंजी में भी अलग से संधारित किया जायेगा। अगर किसी कर्मी को पहले से ही कोई समरूप पहचान पत्र निर्गत हो तथा वह उसके पास उपलब्ध हो तब पूर्व निर्गत पहचान पत्र का विवरण पंजी में अंकित कर लिया जायेगा एवं संबंधित कर्मी को पूर्व से प्राप्त पहचान पत्र को मतदान के दौरान प्रयोग में लाने की अनुमति दी जायेगी।

<u>पहचान-पत्र</u>

फोटोग्राफ

1. नाम -
2. पदनाम -
3. विभाग का नाम -
4. जन्म तिथि -
5. रक्त समूह -
6. दूरभाष/मोबाईल नं॰ -
7. आई॰सी॰ई॰* नंबर -
(ICE)

कार्डधारक का हस्ताक्षर

निर्वाचन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

*ICE- In Case of Emergency

10. रैण्डोमाईजेशन पद्धति द्वारा जिला के सभी मतदान पदाधिकारियों एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं प्रखंड का आवंटन किया जायगा। रैण्डोमाईजेशन पद्धति में प्रत्येक मतदान पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट के गृह एवं पदस्थापन प्रखंड में मतदान कराने हेतु आवंटन नहीं किया जायगा। पहली वार में ही प्रत्येक जिला में चरण एवं प्रखंड का आवंटन प्रथम चरण के मतदान तिथि से 10-15 दिन पूर्व किया जायगा। किसी भी मतदान पदाधिकारी या पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को एक या एक से अधिक बार डियूटी लगायी जा सकती है। परंतु, एक चरण के बाद लगातार अगले चरण (यथा प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में, दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में, तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में आदि डियूटी नहीं लगेगी) में किसी भी मतदान पदाधिकारी या पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की डियूटी नहीं

लगायी जायगी। द्वितीय नियुक्ति पत्र में प्रत्येक मतदान पदाधिकारी एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट का चरण आवंटित प्रखंड का नाम, योगदान स्थल, तिथि एवं समय का उल्लेख रहेगा।

11. इस रैण्डोमाईजेशन पद्धति के द्वारा तैयार किये गये फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र के आधार पर अलग से एक सूची तैयार की जायेगी जिसमें उस जिला के सभी पैक्स निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर भेजे जाने वाले कर्मियों का यूनिक सीरियल नंबर, नाम एवं उन्हें किस प्रखंड मुख्यालय में योगदान करना है यह अंकित रहेगा। यह यूनिक सीरियल नंबर इस सूची में सिलसिलेवार क्रम में अंकित रहेगा।

12. इन दोनों सूचियों की प्रतियाँ जिला, अनुमंडल एवं सभी प्रखंड मुख्यालय में एक पदाधिकारी की अभिरक्षा में रखी जायेगी।

13. किसी भी कर्मी को जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय पर जानकारी के लिए पहुँचने पर क्रमांक 10 एवं 11 में वर्णित सूची में अंकित यूनिक सीरियल नंबर से उसका मिलान कर उन्हें यह बताया जायेगा कि कर्मी को किस प्रखंड मुख्यालय में योगदान करना है। किसी भी कर्मी को इसकी जानकारी देने के साथ-साथ पूर्व निर्गत प्रथम नियुक्ति पत्र पर इसे अंकित कर पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा तथा संबंधित कर्मी से इस सूची के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जायेगा।

14. प्रत्येक चरण के मतदान तिथि के चार दिन पूर्व मतदान दल का गठन एवं मतदान केन्द्रों के साथ टैगिंग का कार्य रैण्डोमाईजेसन पद्धति द्वारा किया जायगा। साथ ही इसी पद्धति द्वारा पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट का दंडाधिकारी- सह- संग्रहण पार्टी (PCCP) के साथ टैगिंग किया जायगा। रैण्डोमाईजेसन पद्धति द्वारा गठित मतदान दल में एक ही कार्यालय के एक से अधिक पदाधिकारी नहीं रहेंगे। अंतिम नियुक्ति पत्र में मतदान दल संख्या, आवंटित मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम, पैक्स तथा मतदान की तिथि एवं समय अंकित करते हुए मतदान पदाधिकारियों को उनके योगदान स्थल एवं तिथि को चरणवार प्राप्त कराया जायगा।

15. मतदान सामग्रियों का वितरण जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियत स्थल, जो यथाशक्य प्रखंड मुख्यालय होगा पर किया जायेगा। वही से मतदानकर्मियों को मतदान केन्द्र पर भेजने हेतु वाहन की व्यवस्था रहेगी। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी सारी व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निदेशानुसार करेंगे। जिला स्तर से उन्हें आवश्यक सभी मतदान सामग्री, वाहन, राशि इत्यादि ससमय उपलब्ध कराई जायेगी।

16. मतदान की तिथि के चार दिन पूर्व ऊपर अंकित कार्यालय से संपर्क कर योगदान दिये जाने के स्थान की जानकारी मिलने पर संबंधित कर्मीगण निदेशित प्रखंड मुख्यालय पर जाकर अपना योगदान देंगे। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी अपने प्रखंड के मतदान केन्द्रों की संख्या एवं प्रति मतदान केन्द्र 5-6 कर्मी (20 प्रतिशत सुरक्षित सहित) के लिए आवासन, शौचालय, पेयजल, भुगतान के आधार पर नाश्ता/भोजन इत्यादि की त्रुटिरहित व्यवस्था पूर्व से कर रखेंगे। कर्मियों के वहाँ पहुँचने पर वे उनसे लिखित योगदान देने के पश्चात् मतदान दल के सभी सदस्यों को फोटोयुक्त द्वितीय नियुक्ति पत्र हस्तगत करायेंगे, जिससे उन्हें ज्ञात होगा कि उनके मतदान दल में कौन-कौन व्यक्ति हैं और उन्हें किस पैक्स निर्वाचन क्षेत्र में किस मतदान केन्द्र पर जाना है।

17. निर्धारित तिथि को मतदान दलों को प्रखंड स्तर पर सामग्री देकर वाहनों से वहीं से मतदान केन्द्र पर भेजा जायेगा।

18. सामग्री प्राप्त करने हेतु कर्मियों द्वारा योगदान देने के बाद अगर यह पाया जाता है कि किसी मतदान दल का कोई सदस्य अनुपस्थित है, तो वैसी स्थिति में सुरक्षित कर्मियों में से उस स्थान को भरा जायेगा। इस स्थिति में प्रतिस्थानी कर्मी के स्वयं के एकल फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र(जो सुरक्षित रखे गये कर्मियों के लिए पूर्व से मुद्रित एवं तामिला किया जायेगा) पर प्रतिनियुक्ति वाले मतदान केन्द्र की संख्या, नाम एवं पता हस्तलिखित रूप में अंकित कर निर्वाचन पदाधिकारी या उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरित कर प्रदान किया जायेगा। जिस मतदान दल के सदस्य के बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये उपस्थित नहीं रहने के कारण सुरक्षित मतदान दल के सदस्य को भेजना पड़े, उस मतदान दल के अनुपस्थित सदस्य के विरूद्ध तत्क्षण सक्षम पदाधिकारी को निलम्बन हेतु अनुशंसा की जायेगी एवं इसकी सूचना प्राधिकार को दी जायेगी।

19. गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण पदाधिकारी को जिला/ अनुमंडल मुख्यालय से ही मतपत्र के साथ मतदान केन्द्रों पर भेजा जायेगा।

20. मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान दल के पीठासीन पदाधिकारी गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दण्डाधिकारी के साथ मतपेटिका संग्रहण स्थल(वज्रगृह) पर आयेंगे। मतदान दल के शेष कर्मी मतदान केन्द्र से ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की गई व्यवस्था के अधीन वापस लौट आयेंगे।

2. चुनाव कार्यो में महिलाओं की प्रतिनियुक्ति ।

निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त की जानी वाली प्रत्येक महिला के लिए आवासन, स्नान, शौच आदि के लिए स्वतंत्र व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी तथा इसके संबंध में उसे अग्रिम रूप में सूचित कर दिया जाएगा। अगर ऐसी व्यवस्था संभव न हो सके तो महिला कर्मी को निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

पैक्स के चुनाव में गर्भावस्था के अंतिम चरण में चल रही (advanced stage of pregnancy) किसी महिला को, चाहे वह मातृत्व अवकाश पर हो अथवा नहीं, या जो चिकित्सीय सलाह पर कोई कठिन अथवा श्रमसाध्य कार्य करने के योग्य नहीं हो, निर्वाचन कर्तव्य पर नहीं लगाया जाएगा। सद्यःप्रसूत महिलाओं के प्रसंग में भी यह प्रतिबंध लागू होगा।

3. निर्वाचन कर्तव्य हेतु निःशक्त व्यक्तियों की प्रतिनियुक्त पर रोक ।

निःशक्त व्यक्ति "The Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995" के अधीन परिभाषित किए गए हैं, जिसका संगत अवतरण नीचे उद्धृत है।

2. उपर्युक्त संदर्भ में पैक्स **के चुनाव में उक्त निःशक्त व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी।**

"The Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995" से संगत उद्धरण

धारा 2 (i) "disability" means –

(i) blindness;
(ii) low vision;
(iii) leprosy-cured;
(iv) hearing impairment;
(v) locomotor disability;
(vi) mental retardation;
(vii) mental illness;

धारा 2 (t) "person with disability" means a person suffering from not less than forty percent of any disability as certified by a medical authority.

4. शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु विभिन्न निरोधात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाईयाँ ।

ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि विकास एवं साख की महत्वपूर्ण संस्था होने के कारण पैक्स निर्वाचन संवेदनशील हो सकता है तथा चुनाव में धन-बल एवं बाहु-बल के उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि मतदाता विशेषत: कमजोर वर्गो के व्यक्ति एवं महिलायें निर्भय होकर मतदान करने हेतु अपने घरों से निकल सकें। मतदाताओं द्वारा मतदान केंद्र पर जाकर स्वतंत्रतापूर्वक मतदान करने तथा सही सलामत घर वापस आ जाने, मतदान के पूर्व तथा बाद में क्षेत्र में कोई हिंसक झड़प नहीं होने तथा तनाव उत्पन्न नहीं होने-ये कुछ ऐसे मानक है जो निर्वाचन के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने के लिये आवश्यक हैं। ऐसा माहौल एक-दो दिनों की कोशिश से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिये समन्वित प्रयास एवं आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था करना आवश्यक है।

विधि-व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आम तौर पर निर्वाचन संबंधी प्रशासनिक तैयारियों को दो हिस्सों में बाँटकर देखा जा सकता है- पहला मतदान पूर्व की व्यवस्था एवं दूसरा मतदान तिथि के दिन की जाने वाली व्यवस्था। मतदान पूर्व की जानेवाली व्यवस्थाओं में लंबित वारंटों का क्रियान्वयन एवं फरारियों की गिरफ्तारी, संदिग्ध एवं आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की धर-पकड़, उपद्रवियों एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन निरोधात्मक कार्रवाईयाँ, अवैध हथियारों का उद्‌भेदन, अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्रों का भौतिक सत्यापन एवं आवश्यक समझे जाने पर उनकी जब्ती आदि जैसी कार्रवाईयाँ की जाती हैं, ताकि सामान्य मतदाता निर्भय होकर स्वतंत्रतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सोच सके। मतदान तिथि को की जाने वाली व्यवस्थाओं में मतदान केंद्र पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, पूरे क्षेत्र में सघन गश्ती, वाहनों के परिचालन पर नियंत्रण तथा उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर इत्यादि कार्रवाईयाँ सम्मिलित हैं।

2. हाल में ही संपन्न लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई अवश्य की गई होगी। फिर भी जिस किसी बिन्दु पर भी आवश्यकता महसूस हो, पैक्स चुनावों की घोषणा होते ही नये सिरे से कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए-

(i) प्रत्येक पैक्स क्षेत्र के पुलिस थाना से विभिन्न कांडों में नाम दर्ज ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए जिनके विरूद्ध विगत दो निकाय अथवा विधानसभा/लोकसभा निर्वाचनों के दौरान बूथ कब्जा, डराने-धमकाने, प्रतिरूपण करने आदि जैसे निर्वाचन अपराध दर्ज हैं तथा आरक्षी अधीक्षक द्वारा ऐसी सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए।

(ii) पूर्व निर्वाचनों के समय दर्ज किए गए निर्वाचन अपराधों की जाँच पड़ताल एवं अभियोजन में तीव्रता लाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए तथा आरक्षी अधीक्षक द्वारा कृत कार्रवाई से जिला निर्वाचन पदाधिकारी को समय-समय पर अवगत कराया जाए।

(iii) प्रत्येक थाने के हिस्ट्रीसीटर, भगोड़े एवं फरार अपराधियों की सूची को अद्यतन करने हेतु विशेष ड्राइव चलाया जाए तथा आरक्षी अधीक्षक द्वारा ऐसी सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए।

(iv) सभी लंबित वारंटों एवं चालान का क्रियान्वयन तथा बिना तामिला कराए गए वारंटों का विवरण आरक्षी अधीक्षक द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाए।

(v) जिन वारंटियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, विशेष अभियान चलाकर उन्हें मतदान के पूर्व गिरफ्तार किया जाय।

(vi) कुछ ऐसे मामले भी दृष्टिगोचर हो सकते हैं जहां अभ्यर्थियों का मनोबल गिराने के लिये उनपर या उनके संबंधियों पर हमला किया जाय। ऐसे मामलों में अविलंब अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाय ताकि वो वैसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं कर सकें।

(vii) शस्त्रों एवं शस्त्र की दुकानों की अनुज्ञप्तियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके भंडार संबंधी अभिलेख अद्यतन हैं तथा उनके पूर्व इतिहास, किसी अनियमितता में उनकी संलिप्तता आदि परिलक्षित होने पर विशेषत: चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में उनके क्रियाकलापों एवं व्यापार पर गहरी नजर रखी जाए।

(viii) पैक्स क्षेत्र में सभी अनुज्ञप्तिधारियों, चाहे वे पैक्स के सदस्य हो अथवा नहीं, की विस्तृत समीक्षा एवं आकलन अनुमंडल दण्डाधिकारी/जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्राधिकृत्त पदाधिकारी द्वारा की जाय एवं विधि-व्यवस्था के समुचित संधारण के लिये, आवश्यक समझे जाने पर कुछ मामलों में अनुज्ञप्तियों को परिबद्ध (impound) करने की कार्रवाई की जाय। ऐसे हथियार जिला प्राधिकारियों के पास जमा करा दिये जायेंगे। जमानत पर छूटे व्यक्तियों, आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों, किसी भी समय, विशेषत: निर्वाचन के दौरान दंगा/बलवा आदि घटनाओं में पूर्व से संलिप्त व्यक्तियों के मामलों में विशेष संवीक्षा (scrutiny) किये जाने की आवश्यकता है। वैसी संवीक्षा के पश्चात् चिहित किये गये अनुज्ञप्तिधारियों को

अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपने शस्त्र को जिला प्रशासन के यहाँ जमा करने का निदेश दिया जाय। जिला प्रशासन द्वारा जमा कराये गये वैसे शस्त्रों को पुख्ता अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था की जायेगी। जमा कराये गये शस्त्रों को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के एक सप्ताह बाद संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को निश्चित रूप से वापस कर दिया जाय।

(ix) हत्या एवं अन्य गंभीर आपराधिक कार्यों में संलिप्त तथा आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों के शस्त्र जब्त करने तथा उनकी अनुज्ञप्तियाँ रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

(x) देशी हरबे-हथियार बनाने वाले व्यक्तियों के ठिकानों पर लगातार छापामारी की जाय तथा उन्हें गिरफ्तार किया जाय। भूमिगत शस्त्र कारखानों पर भी नियमित रूप से पूरी गंभीरता एवं संघातिकता के साथ छापामारी की जाय।

(xi) अवैध शराब बनाने वाले कारखानों का उद्भेदन करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए।

(xii) उपद्रवी एवं शरारती तत्वों की पहचान कर उनके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की संगत धाराओं के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई की जाय तथा बॉन्ड भराया जाय। उक्त संहिता की धारा 144 के अधीन नजायज मजमे लगाने तथा अस्त्र-शस्त्र धारित करने से संबंधित प्रतिबंधात्मक एवं निरोधात्मक आदेश भी लागू कर दिया जाय।

3. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने हेतु निम्नलिखित अन्य प्रशासनिक कार्रवाईयाँ भी अपेक्षित हैं-

मतदान के तीन दिन पूर्व

(i) उन ग्राम पंचायतों में, जो नेपाल अथवा अन्य राज्यों की सीमा पर अवस्थित हैं, मतदान की तिथि से तीन दिन पहले अत्यधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए।

(ii) मतदान की तिथि से तीन दिन पहले से महत्वपूर्ण स्थानों पर चेक बैरियर लगाकर रात-दिन, जहाँ कहीं आवश्यक हो, आने-जाने वाहनों एवं व्यक्तियों की सघन जाँच की जाय ताकि कहीं से भी अवैध अस्त्र-शस्त्र अथवा असामाजिक तत्वों का प्रवेश निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हो पायें। वाहनों की ऐसी जाँच निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक जारी रखी जायेगी। दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर लिया जाय तथा संबंधित अस्त्र-शस्त्र को जब्त कर लिया जाय। प्रशासन के इस प्रयास से उपद्रवी तत्वों पर प्रभावकारी अंकुश लग सकेगा।

मतदान के दिन

(i) मतदान के दिन, जहाँ-जहाँ मतदान है, उन क्षेत्रों में स्कूटर/मोटरसाईकिल/तिपहिया/चार पहिया वाहनों एवं अवैध नौका रखने वाले निजी व्यक्तियों की कड़ी चेकिंग की जाय। जहाँ कहीं भी विधि-व्यवस्था के हित में आवश्यक समझा जाय, ऐसे वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाय। मोटरसाईकिल से पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस अधिकारी अथवा मोटरसाईकिल से मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मतदान सामग्री ले जाने वाले प्राधिकृत पदाधिकारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। सरकारी

कर्त्तव्य पर तैनात केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के वाहनों, आवश्यक सेवाओं के संधारण हेतु प्रयुक्त किये गये वाहन, यथा अस्पताल के ऐम्बुलेंस, मिल्क वाहन, वाटर टैंक, विद्युत इमरजेन्सी वाहन इत्यादि के परिचालन पर कोई रोक नहीं रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें निर्धारित टर्मिनल एवं रूट पर चलती रहेंगी, किन्तु प्रशासन इस बात पर कड़ी नजर रखेगा कि इनका उपयोग अवांछित तत्वों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा क्षेत्र से बाहर भागने हेतु न किया जा सके।

(ii) आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर उनके पद अथवा प्रतिष्ठा से प्रभावित हुये बिना उपलब्ध वैधानिक उपबंधों के अधीन त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाय। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराया जाना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी कदम हो सकता है।

(iii) हालाँकि यह सीमित सदस्यता वाले पैक्स संगठन का निर्वाचन है, फिर भी कई जगहों पर अभ्यर्थियों के बीच तगड़ा संघर्ष होने की संभावना है। किसी भी अवांछित घटना को रोकने हेतु जिला प्रशासन को वैसे तमाम भवनों में, जहाँ मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं, दण्डाधिकारी एवं पर्याप्त आरक्षी बल की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। चुनाव कर्त्तव्य पर भेजने के पूर्व सभी दण्डाधिकारियों/आरक्षी पदाधिकारियों/सशस्त्र बलों को उनकी जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्व से भली-भाँति अवगत करा दिया जाना चाहिए। उन्हें प्राधिकार अधिनियम के फौजदारी प्रावधानों से भी अवगत करा दिया जाना चाहिए। बूथ पर कब्जा होते समय वे मूक दर्शक नहीं बने रहे बल्कि आगे बढ़कर उपद्रवियों से लोहा ले। अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में की गई ऐसी प्रत्येक कार्रवाई को प्राधिकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

(iv) मतदान तिथि के दिन निर्वाचन पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष में कम-से-कम समय बितायें तथा अपना अधिकांश समय निर्वाचन क्षेत्र में घूम-घूमकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में लगे तंत्र को सहयोग देने में व्यतीत करें। अपने भ्रमण के समय वे नियंत्रण कक्ष से भी संपर्क बनाये रखेंगे तथा प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करेंगे।

(v) संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित दण्डाधिकारी नियुक्त किये जायें। दण्डाधिकारी हमेशा भ्रमणशील रहें एवं किसी भी समस्या से निपटन के लिये प्रभावकारी कदम उठायें। जिला दण्डाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक संयुक्त रूप से ऐसी योजना (strategy) बनायें कि दण्डाधिकारियों/ सशस्त्र बलों की अवस्थिति एवं गतिविधि (movement) आदि की पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध होती रहे।

(vi) मतदान तिथि को मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की दूरी की परिधि में कोई दुकान, प्रतिष्ठान आदि मतदान अवधि के दौरान खुला नहीं रखा जायेगा। असामाजिक तत्व अक्सर ऐसे ही स्थानों में अपना अड्डा जमाने की फिराक में रहते हैं।

(vii) मतदान तिथि के दिन मतदान केंद्र के भीतर, पीठासीन पदाधिकारी को छोड़कर, अन्य किसी मतदान कर्मी अथवा मतदान अभिकर्त्ता/निर्वाचन अभिकर्त्ता/अभ्यर्थी को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पीठासीन पदाधिकारी भी मतदान के समय अपने

मोबाईल को स्वीच ऑफ मोड में रखेंगे, ताकि बाहर से कोई संदेश वे प्राप्त नहीं कर सकें। विधि-व्यवस्था हेतु अथवा निर्वाचन पदाधिकारी से संवाद स्थापित करने की आवश्यकता होने पर वे अपने मोबाईल फोन का उपयोग कर सकते हैं।

(viii) मतदान तिथि को मतदान केंद्र के निकट चुनाव कार्य करने (Electioneering) पर प्रतिबंध लगाने तथा मतों की गणना के समय मतगणना केंद्रों पर विधि-व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को सेल्यूलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि के साथ मतदान केंद्र के समीप(100 मीटर की परिधि के अंतर्गत) जाने अथवा उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उसी प्रकार मतगणना केंद्र के अंदर एवं बाहर के क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र में, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा मतगणना केंद्र/हॉल में व्यक्तियों के प्रवेश हेतु अपने घेरे में रखा गया है, किसी व्यक्ति को वैसे उपकरण ले जाने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अगर इन निदेशों के विपरीत किसी व्यक्ति के पास वैसे उपकरण पाये जाते हैं, तो सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जायेगा तथा मतों की गणना पूरी हो जाने एवं परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् ही संबंधित व्यक्ति को लौटाया जायेगा। ये निदेश विधि-व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा कार्य हेतु मतदान केंद्र/मतगणना केंद्र में/के निकट प्रतिनियुक्त वैसे व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जो वैसे उपकरणों का उपयोग अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन के दौरान करते हो। उसी प्रकार ये निदेश प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रेक्षक एवं मतदान कर्त्तव्य तथा मतगणना कर्त्तव्य के प्रभारी पदाधिकारी पर भी लागू नहीं होंगे।

(ix) मतदान तिथि के दिन सभी वाहनों, विशेषतः दुपहिया वाहनों के परिचालन को प्राधिकार द्वारा निर्गत पूर्व दिशा निर्देशों के अधीन सख्ती से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि असामाजिक तत्वों के मूवमेंट पर स्थानीय प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण स्थापित रहे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

(x) अनिष्पादित वारंटों का अभियान चलाकर निष्पादन किया जाय तथा निर्वाचन के संदर्भ में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु जो भी कदम उठाये गये हों, उनका स्थानीय प्रसार माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि मतदाता के मन में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हो।

(xi) मतपत्रों के अंतिम मुद्रण के पहले अधिकारियों की टीम से जाँच कराकर यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि मतपत्र में अभ्यर्थी के नाम एवं चुनाव चिह्न वही और उसी क्रम में हैं, जो प्रपत्र-ई 6 में प्रकाशित किये गये हैं।

(xii) मतदान तिथि को अगर कोई पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष अथवा विपक्ष में काम करता हुआ पाया जाय या जो अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अक्षम अथवा सुस्त पाया जाय, तो उसे निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तुरंत हटा दिया जाय तथा उसके स्थान पर रिजर्व मतदानकर्मी से उपयुक्त कर्मी की नियुक्ति की जायेगी।

(xiii) चुनाव कर्त्तव्य पर तैनात करने के पूर्व संबंधित आरक्षी अधीक्षक स्वयं आरक्षी बलों को संबोधित करें एवं उनके मनोबल को बढ़ाये। आरक्षी बलों के ब्रीफिंग की विडियोग्राफी भी करायी जाय तथा उन्हें महत्वपूर्ण **क्या करें** और **क्या न करें** से संबंधित समुचित अनुदेश लिखित रूप में हस्तगत करा दिया जायेगा।

(xiv) लगभग सभी आरक्षी पदाधिकारियों के पास अपना मोबाइल फोन है। मतदान के दिन सूचना के आदान-प्रदान हेतु मोबाइल फोन का इस्तेमाल काफी प्रभावकारी हो सकता है। जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/अन्य वरीय आरक्षी पदाधिकारी अपने-अपने मोबाइल नंबर प्रतिनियुक्त अधिकारियों को दे दें तथा उनका भी मोबाइल नंबर अपने पास रखें ताकि आवश्यकता महसूस होने पर उसका तुरंत प्रयोग किया जा सके। **मतदान तिथि के दिन किसी भी स्थिति में मोबाइल फोन बंद कर नहीं रखा जायेगा।**

(xv) मतदान तिथि के दो दिन पूर्व से महत्वपूर्ण स्थानों पर एक चेक बैरियर लगाकर रात-दिन आने-जाने वाहनों एवं व्यक्तियों की सघन जांच की जाय तथा गलत तत्वों को किसी भी परिस्थिति में नही बख्शा जायेगा। प्रशासन के इस प्रयास से उपद्रवी तत्वों पर प्रभावकारी अंकुश लग सकेगा।

(xvi) जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) निर्वाचन के आकस्मिकता मद से प्रत्येक पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को मतदान तिथि के दिन मोबाइल का उपयोग करने हेतु 100/- की दर से राशि उपलब्ध करा देंगे।

(xvii) मतदान तिथि के दिन निर्वाचन पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष में बैठकर कम-से-कम समय बितायें तथा अपना अधिकांश समय निर्वाचन क्षेत्र में घूमने में तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में लगे तंत्र को सहयोग देने में व्यतीत करें। अपने भ्रमण के समय वे नियंत्रण कक्ष से भी संपर्क बनाये रखेंगे तथा प्राप्त सूचना के आधार पर वांछित कार्रवाई करेंगे।

5. प्राधिकार का निदेश है कि अगर पैक्स का कार्यालय किसी निजी भवन में नहीं है, तो मतदान केन्द्र पैक्स के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। अगर पैक्स का कार्यालय किसी निजी भवन में चल रहा है, तब मतदान केन्द्र किसी सार्वजनिक भवन में स्थापित किया जाएगा। अतः निर्वाचन के पूर्व संवेदनशील एवं उपद्रवोन्मुख क्षेत्र की पहचान कर लेना भी आवश्यक है ताकि मतदान के समय गंभीर तथा अप्रिय वारदातों को घटित होने से रोका जा सके। ऐसे क्षेत्रों/मतदान केंद्रो की पहचान करने में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए-

(i) पिछले किसी भी निर्वाचन के समय निर्वाचन क्षेत्र अथवा मतदान केन्द्र(अगर उस भवन का उपयोग मतदान केन्द्र के रूप में किया गया था)का पूर्व इतिहास ;

(ii) पिछले निर्वाचनों में बूथ कब्जा, व्यापक पैमाने पर प्रतिरूपण आदि की घटनाएं ;

(iii) किसी विशेष क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की असामान्य स्थिति से संबंधित सूचना;

(iv) अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा लगाए गए विशिष्ट आरोप;

(v) अभ्यर्थियों की स्थिति (status) को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता (contest) की प्रकृति;

(vi) अभ्यर्थियों की राजनीतिक संबद्धता एवं प्रतिद्वन्दिता, अगर कोई हो;

(vii) निर्वाचन क्षेत्र में हिस्ट्रीसीटर एवं भगोड़े अपराधियों की संख्या;

(viii) निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या।

जिला दण्डाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक को समन्वित रूप से ऐसे उपद्रवोन्मुख क्षेत्र की पहचान करनी चाहिये। जिला प्रशासन द्वारा रूटीन रूप में प्रत्येक मतदान केन्द्र को संवेदनशील घोषित किये जाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मतदान केन्द्रों की सूची आपके पास पूर्व से ही उपलब्ध हैं। किसी क्षेत्र/मतदान केंद्र की संवेदनशीलता की पहचान अत्यंत सतर्कता एवं सूक्ष्मतापूर्वक उन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए जो उसे वस्तुतः संवेदनशील बनाते हैं।

5. विधि व्यवस्था का संधारण एवं मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र के अन्दर प्रतिबंधित क्षेत्र में मोबाईल/सेल्यूलर फोन के उपयोग पर रोक ।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(7) के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित मामले निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आते हैं –

मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध - (i) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार; या

(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना; या

(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(ङ) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना।

(ii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(iii) इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

2. मतदान तिथि को मतदान केन्द्र के निकट चुनाव कार्य करने (electioneering) पर प्रतिबंध लगाने तथा मतों की गणना के समय मतगणना केन्द्रों पर विधि–व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से कहना है कि किसी भी व्यक्ति को सेल्यूलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉयरलेस सेट आदि के साथ मतदान केन्द्र के समीप (100 मीटर की परिधि के अंतर्गत) जाने अथवा उसका उपयोग करने

की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसी प्रकार मतगणना केन्द्र के अन्दर एवं बाहर के क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र में, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा मतगणना केन्द्र/हॉल में व्यक्तियों के प्रवेश हेतु अपने घेरे में रखा गया है, किसी व्यक्ति को वैसे उपकरण ले जाने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर इन निदेशों के विपरीत किसी व्यक्ति के पास वैसे उपकरण पाए जाते हैं, तो सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा तथा मतों की गणना पूरी हो जाने तथा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात ही संबंधित व्यक्ति को लौटाया जाएगा।

3. ये निदेश विधि-व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा कार्य हेतु मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र में/के निकट प्रतिनियुक्त वैसे व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगे, जो वैसे उपकरणों का उपयोग अपने सरकारी दायित्वो को निर्वहन के दौरान करते हों। उसी प्रकार ये निदेश प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रेक्षक एवं मतदान कर्तव्य तथा मतगणना कर्तव्य के प्रभारी पदाधिकारी पर भी लागू नहीं होंगे।

6. कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की सुरक्षा / संरक्षा ।

निर्वाचन के समय दबंग अभ्यर्थियों द्वारा कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दबाव, अपहरण, अभित्रास अथवा सदोष परिरोध (Wrongful confinement) अथवा बल प्रयोग द्वारा नामांकन करने से रोके जाने अथवा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले लेने हेतु रिश्वत देने एवं अनुचित प्रभाव डालने जैसी कार्रवाई की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना पर चोट है। प्राधिकार अधिनियम में तथा भारतीय दंड संहिता में ऐसी कार्रवाईयां निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आती हैं तथा इनसे निपटने के पर्याप्त प्रावधान हैं, तथापि ऐसे मामलों में बहुधा प्रशासन के स्तर से गंभीरतापूर्वक जाँच नही की जाती है तथा दोषी बच निकलते हैं।

2. भारतीय दंड संहिता में निर्वाचन अपराध के ऐसे मामलों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान नीचे उद्धृत हैं :-

"Section 171Bof the Indian penal Code-Briberey at election :

(1)whoever –

(i)gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right; or

(ii)accepts either for himself for for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right, commits the offence of bribery;

Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section.

(2)A person who offers, or agrees to give, or offers or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification.

(3)A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do,

or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward.

Section 171C of the Indian Penal Code-Unique influence at elections :-

(1)Whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election.

(2)Without prejudice to the generality of the provisions of Sub-Section(1), whoever:-

(a)threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind, or

(b)Inducesor attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an oject of Divine displeasure or of spiritual censue, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of sub-section(1)".

(3)A declaration of public policy or a promise of public action or the mere exercise of a public right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this section.

3. भारतीय दंड संहिता की धारा 171ए में मत देने के अधिकार से मतलब है, किसी व्यक्ति का किसी निर्वाचन में खड़ा होने या न होने, या अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने या मत देने अथवा नहीं देने से संबंधित अधिकार। धारा 171 बी एवं 171सी के अधीन रिश्वत अथवा अनुचित प्रभाव के लिए एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

4. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(16)(ग) में प्रावधान है कि **किसी निर्वाचक को अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान जाने से रोकना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़ित करना या अभित्रास या धमकी देना मतदान केन्द्र पर कब्जा करने का अपराध माना जाएगा, और जो व्यक्ति यह अपराध करता है, उसे ऐसे कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे तीन वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दंडनीय होगा और जहाँ ऐसा अपराध सरकारी सेवारत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्षों से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।** बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 14 के प्रावधान भी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के समरूप हैं तथा इसके अधीन रिश्वत एवं अनुचित प्रभाव को भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई करने के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किसी निर्वाचन को रद्द घोषित करने तथा दोषियों को पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए किसी निकाय की सदस्यता हेतु अयोग्य ठहराने की कार्रवाई की जा सकती है।

जहाँ भ्रष्ट आचरण पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकारी विहित हैं, वहीं रिश्वत या अनुचित प्रभाव का मामला प्रतिवेदित होने पर भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन भी दोषियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

दोषियों पर अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(7) के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है जिसका संगत अंश निम्नांकित है :-

"कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।"

5. प्राधिकार की इच्छा है कि **जैसे ही अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र देने से रोकने अथवा अभ्यर्थिता वापस लेने के उद्देश्य से अभित्रसित करने या बल प्रयोग करने अथवा रिश्वत या अनुचित प्रभाव दिखलाने की शिकायत या सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को मिलती है, तो उनके स्तर से पुलिस प्राधिकारियों को अविलंब मामले की जाँच करने हेतु कहा जाना चाहिए तथा दोषियों पर अभियोजन चलाया जाना चाहिए।** साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले का तथ्य प्राधिकार को प्रतिवेदित किया जाना चाहिए एवं नियमित अंतराल पर वैसी शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई की प्रगति से आयोग को अवगत कराते रहना चाहिए।

7. मतदान केन्द्र के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में चुनाव कार्य (electioneering) पर रोक।

मतदान तिथि को मतदान केन्द्र के बाहर अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा मतदाताओं को गैर आधिकारिक पहचान स्लिप (unofficial identity slip) देकर पीठासीन पदाधिकारी/मतदान अधिकारी के पास भेजा जाता है जो उस गैर आधिकारिक स्लिप में अंकित मतदाता के क्रमांक/नाम को देखकर अपने पास रखी गई मतदाता सूची में उसका नाम तुरंत ढूंढ सकें। कहीं-कहीं से ऐसे निर्वाचन केन्द्रों पर विभिन्न अभ्यर्थियों के समर्थकों/मतदाताओं के बीच संघर्ष होने की नौबत भी उत्पन्न हो जाती है।

2. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(7) के प्रावधान इस संबंध में प्रासंगिक हैं-

मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध - (i) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार; या

(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना; या

(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(ङ) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना।

(ii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(iii) इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

3. हाँलाकि संसदीय/विधानसभा/पंचायत चुनावों में मतदान केन्द्र से 200 मीटर का क्षेत्र बिल्कुल खाली रखा जाता है, किन्तु 200 मीटर के बाहर के क्षेत्र में कुछ शर्त्तों के अधीन गैर आधिकारिक (non official) निर्वाचन केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। चूँकि पैक्स ऐसे सदस्यों का संगठन है जो स्वयं एवं परस्पर हित की संवृद्धि के लिए बनाया गया है, सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते है। अतः पैक्स निर्वाचन के समय किसी गैर आधिकारिक निर्वाचन केन्द्र की स्थापना किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। **अतः प्राधिकार मतदान के दिन गैर आधिकारिक निर्वाचन केन्द्र की स्थापना करने को प्रतिबंधित करता है।** इस निदेश का उल्लंघन किया जाना बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम की धारा 6(7) के अधीन दंडनीय होगा। मतदान केन्द्र के निकट सड़क किनारे टेबुल/कुर्सी/चटाई/छोटी दरी आदि डालकर या मतदान केन्द्र के निकट अवस्थित किसी परिसर को गैर आधिकारिक निर्वाचन केन्द्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, जहाँ पैक्स के मतदाता इच्छा रहने पर जा सकते हैं।

8. विभिन्न कोषांगों का गठन ।

पैक्स निर्वाचन, 2019 के लिए जिला स्तर पर निम्न कोषांगों का गठन किया जायेगा –

(1) **कार्मिक, प्रशिक्षण एवं प्रेक्षक कोषांग**

- निर्वाचन हेतु कार्मिकों की अध्यापेक्षा;
- यूनिक सीरियल नंबर द्वारा कार्मिकों का डाटा-बेस तैयार करना
- प्रथम नियुक्ति पत्र तैयार करना
- रैण्डमाईजेशन पद्धति द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदान दलों का गठन एवं अंतिम नियुक्ति पत्र तैयार करना
- गश्ती दण्डाधिकारियों/जोनल दण्डाधिकारियों आदि की प्रतिनियुक्ति
- जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कराना
- प्राधिकार के दिशा-निदेशों के अधीन निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगाए गए कर्मियों(सुरक्षित कार्मिक सहित) को निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं पर प्रशिक्षित करना
- प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था
- प्राधिकार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के लिए संपर्क पदाधिकारी (Liaison Officer), वाहन एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा उनसे प्राप्त प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना

(2) **सामग्री एवं वाहन कोषांग**

- निर्वाचन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता का आकलन करना
- मतपेटियों की आवश्यक मरम्मती, ग्रीजिंग, रंगाई आदि सुनिश्चित करना
- प्राधिकार स्तर से दी जाने वाली सामग्रियों को छोड़कर निर्वाचन/मतदान (मतगणना कार्य में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियों/प्रपत्रों आदि procurement अधिप्राप्ति के लिए निविदा आदि आमंत्रित करना एवं निश्चित समय-सीमा के अंदर आवश्यक संख्या में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना
- मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्रियों के पैकेट बनाकर उन्हें निर्वाचन पदाधिकारियों को वितरण हेतु उपलब्ध कराना।
- मतदान दलों को मतदान केन्द्र पर पहुँचाने हेतु आवश्यक वाहनों की व्यवस्था
- वाहनों के अधिग्रहण के लिए अध्यापेक्षा तैयार करना
- पर्यवेक्षकों के लिए वाहन की व्यवस्था
- विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु प्रतिनियुक्त पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेटों के लिए वाहनों की व्यवस्था
- सुरक्षा बलों के आवागमन के लिए वाहनों की व्यवस्था
- निर्वाचन कर्त्तव्य में प्रयुकत वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल/मोबिल की व्यवस्था एवं लौग बुक का संधारण

(3) **मीडिया कोषांग**

- यह जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा।
- निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देने के लिए जनसम्पर्क कार्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ मुहैया करायी जायेगी।
- प्राधिकार द्वारा विहित समय के अनुसार मीडिया ब्रीफिंग करना एवं उन्हें आवश्यक आंकड़े तथा सूचना उपलब्ध कराना
- प्राधिकार के निदेशों के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्रवाई करना
- मतदान/मतगणना केन्द्रों में मीडियाकर्मियों के प्रवेश के लिए अनुमति पत्र(पास) निर्गत करना
- अन्य दायित्व जो प्राधिकार अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) द्वारा सौंपे जाएं।

(4) **आचार संहिता, निर्वाचन अपराध एवं निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग**

- आचार संहिता के उल्लंघन एवं निर्वाचन अपराध के मामलों को पंजीबद्ध करना तथा सक्षम पदाधिकारियों से शिकायतों की त्वरित जाँच करना
- जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करना
- जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण कर आचार संहिता के अनुपालन की स्थिति से अवगत होना

- अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे व्यय पर नजर रखना एवं रैण्डम चेकिंग कर निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराना
- परिणाम घोषणा के पश्चात् 15 दिनों की अवधि में निर्वाचन व्यय का लेखा समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राधिकार को भेजना।

(5) **मतपत्र कोषांग**

- निर्वाचन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2% अतिरिक्त मतपत्रों की आवश्यकता का आकलन एवं प्राधिकार के निदेश के अधीन उनके मुद्रण की व्यवस्था करना।
- मुद्रित मतपत्रों का प्रखंडवार/पैक्सवार एवं मतदान केन्द्रवार विखंडन सुनिश्चित कराना
- मतपत्रों को पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के माध्यम से पीठासीन पदाधिकारी को हस्तगत कराने की व्यवस्था।

9. निर्वाचन प्रक्रिया के कवरेज हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया को दी जाने वाली सुविधाएँ ।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को यथाशक्य पारदर्शी रखना अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया द्वारा निर्वाचनों का कवरेज अति महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी हो सकता है।

2. विधि एवं व्यवस्था के संधारण हेतु सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लगायी गई किसी भी पाबंदी (restrictions) के अध्यधीन रहते हुए, मीडिया कर्मी सहित किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ मतदान हो रहा है, घूमने और निर्वाचन को देखने हेतु राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है लेकिन मतदान केन्द्रों/मतगणना केन्द्रों में प्रवेश प्राधिकार के निदेशों के अधीन ही विनियमित किया जा सकेगा ताकि निर्वाचन की गोपनीयता एवं मतदाताओं के अधिकार को प्रभावित किए बिना मीडिया पर्याप्त एवं प्रभावकारी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया का कवरेज कर सके।

3. **किसी जिले में पैक्स निर्वाचन के कवरेज हेतु मीडियाकर्मियों को प्रवेश पत्र निर्गत करने के लिये संबंधित जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला दण्डाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। अगर किसी मीडिया ग्रुप/चैनल से संबंधित कर्मी एक से अधिक जिले का कवरेज करना चाहते हैं, तब बिहार सरकार के सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की अनुशंसा पर वैसे मीडियाकर्मियों को प्रवेश पत्र प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जायेगा।**

4. प्रत्येक आवेदक को अपने नाम, समाचार एजेंसी/समाचार पत्र/पत्रिका/इलेक्ट्रोनिक मीडिया, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है एवं क्षेत्र जहाँ वह कवरेज हेतु जाना चाहता है, का पूर्ण विवरण देते हुए संबंधित जिला दण्डाधिकारी को आवेदन देना होगा। एक आवेदक अपनी इच्छानुसार एक से

अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जाने हेतु स्वतंत्र है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया टीम में एक से अधिक व्यक्ति के रहने पर, प्रत्येक व्यक्ति को अलग–अलग प्राधिकार पत्र लेने की आवश्यकता होगी।

5. मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र संबंधित जिला दण्डाधिकारी के हस्तलिखित हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। हस्ताक्षर की अनुलिपि (facsimile) अथवा रबर स्टाम्प का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निर्गत प्राधिकार पत्रों की पंजी संधारित की जाएगी जिसमें मीडिया कर्मी का नाम एवं प्राधिकार पत्र का क्रमांक उल्लिखित रहेगा। अनुमोदित सूची के नामों को दूसरे व्यक्ति के नाम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

6. निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी एवं निर्वाचन से जुड़े अन्य किसी अधिकारी को यह पूर्ण अधिकार है एवं यह उसका उत्तरदायित्व भी है कि बिना प्राधिकार पत्र वाले व्यक्तियों को मतदान/मतगणना केन्द्र से दूर रखें।

7. प्राधिकार पत्र प्राधिकार द्वारा अधिरोपित उन शर्तों के अध्यधीन होंगे जो उन प्राधिकार पत्रों पर अंकित रहेंगे। किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर प्राधिकार पत्र स्वत: निरस्त हो जाएंगे।

8. प्राधिकार पत्र का सत्यापन कर लेने के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी मीडियाकर्मियों को छोटे–छोटे समूह में मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति देगा। प्राधिकार पत्र निर्गत करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मतदान/मतगणना केन्द्र में मीडिया कर्मियों की अनावश्यक भीड़ न हो; उनके कारण मतदाताओं तथा मतदान कर्मियों को कोई असुविधा न हो तथा मतदान की गोपनीयता किसी भी स्थिति में भंग न हो। अगर पीठासीन पदाधिकारी/निर्वाचन पदाधिकारी को यह महसूस हो कि मीडिया कर्मियों की उपस्थिति से मतदान/मतगणना की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित हो रही है, तो वह मीडिया कर्मियों को तुरंत बाहर जाने का आदेश दे सकता है। मीडिया कर्मियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी कि पीठासीन पदाधिकारी/निर्वाचन पदाधिकारी के निदेशों काउन्हें अक्षरश: पालन करना होगा।

9. सरकारी मीडिया, यथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन एवं केन्द्रीय अथवा राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी, सूचना निदेशालय/क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय के अधिकारी आदि को मतगणना केन्द्र/मतदान केन्द्र में प्रवेश करने में कोई विशेष रियायत या प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अन्य मीडिया कर्मियों की तरह प्राधिकार पत्र रहने पर ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विदेशी मीडिया/पत्रकारों पर भी वही प्रतिबंध लागू होंगे। किसी को भी विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। अगर कोई अधिकारी प्राधिकार के निदेशों के विपरीत मीडिया को सुविधा देता है या दिए जाने की इजाजत देता है तो इसे अत्यन्त गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी को इसका परिणाम भुगतने हेतु तैयार रहना होगा।

10. मतगणना के समय निर्वाचन पदाधिकारी परिणाम की घोषणा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से करेगा, जिसका साउण्ड बॉक्स मतगणना केन्द्र के बाहर होगा। मतगणना के सीमित कवरेज के लिए ऑडियो विजुअल समूहों (audio-visual groups) को मतगणना के प्रभारी पदाधिकारी के नियंत्रण में अन्दर जाने की इजाजत दी जा सकती है। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात इसकी प्रति दूरदर्शन/आकाशवाणी/लोक सूचना ब्यूरो को दी जा सकती है।

11. प्राधिकार पत्र के धारक, मतगणना के समय इच्छानुसार मतगणना केन्द्र से बाहर आ-जा सकते हैं, लेकिन ऐसा आना-जाना विधि एवं व्यवस्था के संधारण की अपेक्षाओं, समुचित शिष्टाचार एवं शांतिपूर्ण गणना के संचालन के अध्यधीन होगा।

यही व्यवस्था मतदान के दिन मतदान केन्द्र में आने-जाने के लिए भी लागू होगी।

12. **मीडिया सेन्टर** - निर्वाचन से संबंधित सूचनाओं के प्रसार (dissemination) के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के परिसर में मीडिया सेन्टर की स्थापना की जाएगी। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उक्त सेन्टर के प्रभारी अधिकारी होंगे एवं उनका संपर्क पता एवं दूरभाष संख्या अग्रिम रूप में परिचारित कर दिया जायेगा। ये सेन्टर निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से कार्य करना शुरू कर देंगे एवं प्रचार कार्य की अवधि की समाप्ति तक कार्यालय अवधि तक एवं तत्पश्चात निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक अहर्निश कार्य करेंगे। मीडिया सेन्टर में यथासंभव संचार की सभी सुविधाएं यथा एस.टी.डी. सुविधायुक्त टेलीफोन, फैक्स मशीन, आवश्यक उपस्कर आदि की व्यवस्था की जाएगी तथा इस पर आने वाले व्यय का वहन सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। दूरभाष पर किसी पृच्छा का उत्तर देने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाएगी।

सांख्यिक प्रतिवेदन से संबंधित आँकड़े आदि प्रत्येक मीडिया सेन्टर पर यथासंभव सीमा तक संदर्भ हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

13. प्राधिकार यथासंभव निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति की अवधि तक समय-समय पर प्रेस-नोट निर्गत करेगा, जिसमें निर्वाचन से संबंधित ऐसी सूचनाएं होंगी जिनके प्रकाशन से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो।

14. जिला दंडाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) एवं आरक्षी अधीक्षक संयुक्त रूप से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कम से कम पाँच प्रेस ब्रीफिंग करेंगे एवं मीडिया कर्मियों को उक्त ब्रीफिंग का हैण्डआउट उपलब्ध कराएंगे । इन बैठकों का समय निम्न प्रकार होगा :-

क्रमांक	**समय**	**विषय**
1	अधिसूचना की तिथि	(1) जिलान्तर्गत कुल पैक्सों की संख्या। (2) मतदाताओं की संख्या, महिला मतदाताओं की संख्या एवं अन्य संगत आंकड़ें। (3) निर्वाचन पदाधिकारियों के नाम, पते एवं संपर्क संख्या। (4) राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निदेशों का सार-संक्षेप । (5) निर्वाचन का कार्यक्रम। (6) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन हेतु की गई व्यवस्था। (7) आदर्श आचार संहिता एवं इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु की गई तैयारी।

2	अभ्यर्थिता वापसी के अगले दिन	(1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, मतदाता सूची में उनके पते एवं आवंटित प्रतीक के साथ। (2) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन हेतु की गई व्यवस्था।
3	प्रचार अभियान की समाप्ति	(1) उक्त अवधि में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले एवं उन पर की गई कार्रवाई। (2) प्रचार के दौरान निर्वाचन अपराध के मामले एवं उन पर की गई कार्रवाई। (3) गलत काम करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई। (4) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन हेतु की गई व्यवस्था।
4	मतदान की समाप्ति	(1) मतदान तिथि को प्रतिवेदित निर्वाचन अपराध एवं अनाचार (malpractices) के मामले एवं उन पर की गई कार्रवाई। (2) पुनर्मतदान, अगर कोई हो, कराने की तैयारी। (3) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतगणना कराने की तैयारी।
5	मतदान प्रक्रिया की समाप्ति	निर्वाचन के संबंध में प्रकाशन योग्य सभी सांख्यिक सूचना

15. (i) पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में मतदाताओं के फोटो लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु किसी भी परिस्थिति में फोटोग्राफर/पत्रकार को मतदान कोष्ठ में (जहाँ मतदाता मतपत्र पर निशान लगता है।) प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(ii) मतदान केन्द्र/मतगणना कक्ष के अन्दर पत्रकारों/फोटोग्राफरों के प्रवेश के संबंध में लागू सभी दिशा-निर्देश सभी दिशा निर्देश दूरदर्शन/टी.वी. चैनल के फोटोग्राफर/ संवाददाताओं के मामले में भी लागू होंगे।

16. मतदान केन्द्रों/मतगणना केन्द्रों में प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु दिए जाने वाले **प्राधिकार पत्र का नमूना एनेक्सचर-2 पर संलग्न** है। इसकी पर्याप्त प्रतियां तैयार कर तथा सभी पर लगातार क्रमांक अंकित कर उसे आवश्यकतानुसार निर्गत किया जाएगा।

अनुरोध है कि पैक्स निर्वाचन, 2019 के सफल संचालन हेतु उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

16/11/19

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-1

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) -सह- जिला दण्डाधिकारी,........................

प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन 2019

प्रथम नियुक्ति पत्र

मैं .... जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) -सह- जिला दण्डाधिकारी............ .... बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक के निदेशों के अधीन निम्न तालिका में अंकित कर्मी की सेवा प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का निर्वाचन 2019 के लिए मतदान कर्तव्य हेतु प्राप्त करता हूँ:-

नाम: .... PIN................................

पदनाम.. Duty.............................

कार्यालय.................................... Contact No.------------

नियुक्ति पत्र में मतदान कर्मी के फोटो से भिन्नता या फोटो नहीं रहने पर भी इसका तामिला कराया जाय। अगर फोटो में भिन्नता है या फोटो नहीं है, तो अपने प्रथम प्रशिक्षण स्थल पर फोटो खिचवाना सुनिश्चित करें।

एतद द्वारा आदेश दिया जाता है कि निम्न तालिका के अनुसार सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करे:-

प्रशिक्षण कार्यक्रम

	Date	Timing	Place
1^{st}			
2^{nd}			
3^{rd}			

मतदान के लिये अलग से द्वितीय नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसके अनुसार वर्णित स्थान, तिथि एवं समय पर अपना योगदान देना होगा।

नियुक्ति पत्र नहीं लेना, प्रशिक्षण एवं मतदान कर्तव्य से अनुपस्थित रहना, बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 एवं नियमावली 1959 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

Date:

Place: निर्गत के लिए प्राधिकृत

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)
-सह-
जिला दंडाधिकारी,........................

प्राप्ति रसीद

PACS ELECTION-2019

PIN NO. Duty............................

नाम: ....

पदनाम..

कार्यालय....................................

Contact No.- प्राप्त कर्ता का हस्ताक्षर एवं दिनांक

प्रवेश प्राधिकार पत्र

(मतदान/ मतगणना केन्द्र में प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु)

अहस्तान्तरणीय

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

एवं मोहर के बिना मान्य नहीं

पैक्स निर्वाचन में यथा विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों/मतगणना केन्द्रों(उन केन्द्र/केन्द्रों का नाम लिखें, जहाँ के लिए प्रवेश पत्र दिया जा रहा है..........................) के अन्दर प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु............................. (मीडिया का नाम) का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री/सुश्री..................................को नीचे लिखे शर्त्तों के अधीन प्राधिकृत किया जाता है।

मीडिया कर्मी का फोटो	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी	जिला दण्डाधिकारी सील

धारक का हस्ताक्षर

शर्त्तें :-

1. इस प्राधिकार पत्र के धारक को पूरे समय निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारियों/मतदान पदाधिकारियों/मजिस्ट्रेटों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
2. यह प्राधिकार पत्र हस्तांतरणीय नहीं है, और प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर अन्य के द्वारा इसका प्रयोग गंभीर अपराध है और इस कारण अपराधी उचित कानूनी कार्रवाई का भागी होगा।
3. प्राधिकार पत्र धारित करने वाले व्यक्ति सहज पहचान के लिए अपना पहचान पत्र और परिचय कार्ड साथ में लायें, जो उन्हें उस संस्था/संगठन द्वारा जारी किया गया है जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
4. मतदान केन्द्र में जाना अथवा मतगणना कक्ष के अन्दर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या विडियो फिल्म बनाना सख्त मना है।